



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 403

राँची : 12/5/2026

सेवा में,

सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड हजारीबाग द्वारा 132के0वी0 डी/सी0 चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 4022 दिनांक 25.10.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/50112/2020(PT) दिनांक 04.09.2023 द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रासंगिक पत्रांक 965 दिनांक 17.04.2026 (अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

क्र0	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
1	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल :- इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के प्रस्तावित मौजा डाढा में 02 एवं बारिसारम में 01 कुल 03 अवैध तरीके से वनभूमि में ट्रांसमिशन टावर का निर्माण कार्य किया गया है जिसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं ज्ञापांक 2196 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दोनों वाद का अभियोजन प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। (अभियोजन प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न-अनु0-01)। वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में लंबित है।

क्र०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
		<p>वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों टॉवरों के निर्माण के क्रम में कुल 0.0471 हे० वनभूमि प्रभावित है जिसका उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में किया जा चुका है। तीनों टॉवरों के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों (1) श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संघरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संघरण नि० लि० चतरा (2) श्री मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्रा० लि० पहली मंजिल, आनन्द विहार, हज हाउस, कडरू, रांची का नाम भी अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है।</p> <p>साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैर मजरूआ जंगल झाड़ी पर किये गये टॉवरों के निर्माण एवं प्रभावित रकवा उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त, चतरा ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 19.01.2026 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के कार्यालय में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में कुल टॉवरों की संख्या-27 एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकवा 0.43799 हे० अंकित है (उपायुक्त, चतरा का प्रतिवेदन संलग्न-अनु० 02)। इन 27 टॉवरों में से ग्यारह टॉवर चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत बनाया गया है।</p> <p><b>चतरा उत्तरी वन प्रमंडल :-</b></p> <p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 132kV D/C ट्रांसमिशन लाईन (चतरा से हंटरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के टावर का निर्माण गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में किये जाने के फलस्वरूप, वन (संरक्षण एवं सर्वेक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024, पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024 एवं पत्रांक 2812 दिनांक 21.11.2025 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में कराये गये कार्य से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण (संलिप्यदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि) के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था (छाया प्रति संलग्न, अनु०-1)।</p> <p>तत्पश्चात्, उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक</p>

क्र०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
		<p>2925/रा० दिनांक 29.12.2025 द्वारा विषयांकित मामले में संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया, उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर-मजरुआ जंगल-झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को विन्हित कर चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 117/रा० दिनांक 19.01.2026 (छाया प्रति संलग्न, अनु०-2) के माध्यम से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (G.M.I.J) पर कुल 27 टॉवरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 14 टॉवर पूर्ण रूप से खड़ा किया गया है तथा दो टॉवरों का Foundation Work किया गया है। इन 16 टॉवरों के अवैध निर्माण में सन्निहित Violation रकवा-0.22797 हे० है। इस Violation रकवा के विरुद्ध संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा Consolidated Guidelines and Clarifications, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के FC Chapter-1, Para 1.16 (ii) (a) के आधार पर निम्नवत् अनुशंसा की गयी है :-</p> <p><i>"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made"</i></p> <p>उपरोक्त Violation Area पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देश के आलोक में दंडात्मक (Penal) एन०पी०वी० की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है।</p>
02	Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.	<p><b>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल :-</b> इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना को परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2020 को समर्पित किया गया था। साथ ही Satellite imagery के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है (फोटो संलग्न-अनु० 03)।</p> <p><b>चतरा उत्तरी वन प्रमंडल :-</b> इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण</p>

क्र०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
		<p>कार्य नहीं किया गया है। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने दिनांक 20.02.2021 के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में टॉवरों के अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि एवं गैर-मजरूआ जंगल झाड़ी पर अवैध निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा प्रस्ताव अग्रसारण में स्पष्टतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का Part-II में जिक्र किया गया है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन सलग्न, अनु०-3)</p> <p>चतरा-हटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के KML File के अवलोकन में पाया गया है कि टॉवर संख्या-AP6/0, 6/1, AP7/0, AP8/0, AP10/0, 21/1, AP22/0 &amp; AP23/0, दिनांक 25.02.2021, एवं टॉवर संख्या-10/1, AP11/0, AP14/0, 19/1, 20/1 &amp; 23/1 दिनांक 12.12.2023 (Latest) की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery को निर्माण कराया जा चुका है तथा दिनांक 12.12.2023 की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery के अनुसार टॉवर संख्या-AP18/0 &amp; 18/1 का Foundation Work किया गया है। (Satelite Imagery की प्रति सलग्न, अनु०-4)</p> <p>उपरोक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है।</p>

उपरोक्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।





कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।  
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

316

Balso  
27/4/26  
प्रेषक,

पत्रांक : 965 / हजारीबाग।

दिनांक : 17-4-2026


रवीन्द्र नाथ मिश्रा, भा0व0से0,  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रांची।



मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड हजारीबाग द्वारा 132के0वी0 डी/सी0 चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/50112/2020(PT) दिनांक 04.09.2023 द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 94 दिनांक 17.02.2026 तथा पत्रांक 147 दिनांक 07.03.2026 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 288 दिनांक 06.02.2026 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के पत्रांक 379 दिनांक 26.02.2026 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
1	2	3
1	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल :- इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के प्रस्तावित मौजा डाढा में 02 एवं बारिसारम में 01 कुल 03 अवैध तरीके से वनभूमि में ट्रांसमिशन टावर का निर्माण कार्य किया गया है जिसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
1	2	3
		<p style="text-align: right;">318</p> <p>ज्ञापांक 2196 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दोनों वाद का अभियोजन प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। (अभियोजन प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न-अनु०-01)। वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में लंबित है।</p> <p>वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों टॉवरों के निर्माण के क्रम में कुल 0.0471 हे० वनभूमि प्रभावित है जिसका उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में किया जा चुका है। तीनों टॉवरों के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों (1) श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि० लि० चतरा (2) श्री मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्रा० लि० पहली मंजिल, आनन्द विहार, हज हाउस, कडरू, रांची का नाम भी अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है।</p> <p>साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैर मजरूआ जंगल झाड़ी पर किये गये टॉवरों के निर्माण एवं प्रभावित रकवा उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त, चतरा ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 19.01.2026 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के कार्यालय में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में कुल टॉवरों की संख्या-27 एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकवा 0.43799 हे० अंकित है (उपायुक्त, चतरा का प्रतिवेदन संलग्न-अनु० 02)। इन 27 टॉवरों में से ग्यारह टॉवर चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत बनाया गया है।</p> <p><b>चतरा उत्तरी वन प्रमंडल :-</b></p> <p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 132kV D/C ट्रांसमिशन लाईन (चतरा से हंटरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के टावर का निर्माण गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में किये जाने के फलस्वरूप, वन (संरक्षण एवं सर्वेक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024, पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024 एवं पत्रांक 2812 दिनांक 21.11.2025 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में कराये गये कार्य से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण (संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि) के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था (छाया प्रति संलग्न, अनु०-1)।</p> <p>तत्पश्चात्, उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 2925/रा० दिनांक 29.12.2025 द्वारा विषयांकित मामले में संयुक्त जांच कमिटी गठित किया गया, उक्त संयुक्त गठित जांच कमिटी द्वारा गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा उत्तरी वन</p>

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
1	2	<p style="text-align: right;">3</p> <p>प्रमंडल के कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 117/रा० दिनांक 19.01.2026 (छाया प्रति संलग्न, अनु०-2) के माध्यम से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) पर कुल 27 टॉवरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 14 टॉवर पूर्ण रूप से खड़ा किया गया है तथा दो टॉवरों का Foundation Work किया गया है। इन 16 टॉवरों के अवैध निर्माण में सन्निहित Violation रकवा-0.22797 हे० है।</p> <p>इस Violation रकवा के विरुद्ध संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा Consolidated Guidelines and Clarifications, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के FC Chapter-1, Para 1.16 (ii) (a) के आधार पर निम्नवत् अनुशंसा की गयी है :-</p> <p><i>"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made"</i></p> <p>फलस्वरूप, उपरोक्त Violation Area पर दंडात्मक (Penal) एन.पी.वी. यथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पाँच गुणा एन.पी.वी. (Five Times NPV along with 12% Simple Interest), की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है।</p>
02	<p>Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.</p>	<p><b>चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल :-</b></p> <p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना को परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2020 को समर्पित किया गया था। साथ ही Satellite imagery के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है (फोटो संलग्न-अनु० 03)।</p> <p><b>चतरा उत्तरी वन प्रमंडल :-</b></p> <p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने दिनांक 20.02.2021 के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में टॉवरों के अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि एवं गैर-मजरूआ जंगल झाड़ी पर अवैध निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा प्रस्ताव अग्रसारण में स्पष्टतः वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का Part-II में जिक्र किया गया है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न, अनु०-3)</p>

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
1	2	3
		<p>चतरा-हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के KML File के अवलोकन में पाया गया है कि टॉवर संख्या-AP6/0, 6/1, AP7/0, AP8/0, AP10/0, 21/1, AP22/0 &amp; AP23/0, दिनांक 25.02.2021, एवं टॉवर संख्या-10/1, AP11/0, AP14/0, 19/1, 20/1 &amp; 23/1 दिनांक 12.12.2023 (Latest) की Google Earth पर उपलब्ध Satellite Imagery को निर्माण कराया जा चुका है तथा दिनांक 12.12.2023 की Google Earth पर उपलब्ध Satellite Imagery के अनुसार टॉवर संख्या-AP18/0 &amp; 18/1 का Foundation Work किया गया है। (Satellite Imagery की प्रति संलग्न, अनु०-4)</p> <p>उपरोक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है।</p>

अधोहस्ताक्षरी वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के उक्त मंतव्य से सहमत है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक परियोजना में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
हमीरसिंघाग।



# कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो०+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

फोन नं० - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

312

पत्रांक - 147 दिनांक - 07-03-2026

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
हजारीबाग।

श्रीमन्मोज

9/3/26

विषय-

मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल- 29.8784 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल -23.3355 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

9/3/26

प्रसंग-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रौंघी का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं आपका ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 94 दिनांक 17.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 379 दिनांक 26.02.2026 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। अनुपालन की स्थिति निम्नवत है-

क्रम सं०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
01	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 132KV D/C ट्रांसमिशन लाईन (चतरा से हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के टावर का निर्माण गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में किये जाने के फलस्वरूप, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस सम्बंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024, पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024, एवं पत्रांक 2812 दिनांक 21.11.2025 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में कराये गये कार्य से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण (संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि) के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था (छायाप्रति सलग्न, अनु०-1)।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक  
हजारीबाग  
पत्रांक 511  
दिनांक 10-2-26



		<p>गठित किया गया, उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर-मजरुआ जंगल-झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 117/रा० दिनांक 19.01.2026 (छायाप्रति सलग्न, अनु०-2) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) पर कुल 27 टॉवरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत 14 टॉवर पूर्ण रूप से खड़ा किया गया है, तथा दो टॉवरों का Foundation Work किया गया है। इन 16 टॉवरों के अवैध निर्माण में सन्निहित Violation रकबा-0.22797 हे० है।</p> <p>इस Violation रकबा के विरुद्ध संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा Consolidated Guidelines and Clarifications, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के FC Chapter-1, Para1.16 (ii)(a) के आधार पर निम्नवत् अनुशंसा की गयी है :-</p> <p><i>"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made"</i></p> <p>फलस्वरूप, उपरोक्त Violation Area पर धीनल एन.पी.वी. यथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पाँच गुणा एन.पी.वी. (Five Times NPV alongwith 12% Simple Interest), की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है।</p>
<p>2</p>	<p>Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.</p>	<p>चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के दिनांक 20.02.2021 के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में टॉवरों के अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि एवं गैर-मजरुआ जंगल झाड़ी पर अवैध निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा प्रस्ताव अग्रसारण में स्पष्टतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का Part-II में जिक्र किया गया है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन सलग्न, अनु०-3)</p> <p>चतरा-हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के .kml file के अवलोकन</p>

*[Handwritten signature]*

369

	<p>में पाया गया है कि टॉवर संख्या- AP6/0, 6/1, AP7/0, AP8/0, AP10/0, 21/1, AP22/0 &amp; AP23/0, दिनांक 25.02.2021, एवं टॉवर संख्या- 10/1, AP11/0, AP14/0, 19/1, 20/1 &amp; 23/1 दिनांक 12.12.2023 (Latest) की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery को निर्माण कराया जा चुका है, तथा दिनांक 12.12.2023 की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery के अनुसार टॉवर संख्या- AP18/0 &amp; 18/1 का Foundation Work किया गया है। (Satelite Imagery की प्रति संलग्न, अनु०-4)</p> <p>उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्भवतः सभी स्थलों पर निरीक्षण नहीं किया गया होगा, तथा उनके द्वारा निरीक्षण किये गये स्थलों पर अवैध टॉवरों का निर्माण नहीं पाया गया होगा।</p>
--	---

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०:-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(राहुल मीश्रा) 26/12/2026  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।  
26/12/2026

02	<p>Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने दिनांक 20.02.2021 के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में टॉवरों के अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि एवं गैर-मजरूआ जंगल झाड़ी पर अवैध निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा प्रस्ताव अग्रसारण में स्पष्टतः वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का Part-II में जिक्र किया गया है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न, अनु०-3)</p> <p>चतरा-हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के KML File के अवलोकन में पाया गया है कि टॉवर संख्या-AP6/0, 6/1, AP7/0, AP8/0, AP10/0, 21/1, AP22/0 &amp; AP23/0, दिनांक 25.02.2021, एवं टॉवर संख्या-10/1, AP11/0, AP14/0, 19/1, 20/1 &amp; 23/1 दिनांक 12.12.2023 (Latest) की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery को निर्माण कराया जा चुका है, तथा दिनांक 12.12.2023 की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery के अनुसार टॉवर संख्या-AP18/0 &amp; 18/1 का Foundation Work किया गया है। (Satelite Imagery की प्रति संलग्न, अनु०-4)</p> <p>उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सम्भवतः सभी स्थलों पर निरीक्षण नहीं किया गया होगा, तथा उनके द्वारा निरीक्षण किये गये स्थलों पर अवैध टॉवरों का निर्माण नहीं पाया गया होगा।</p>
----	--	---

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

3-3-01

306

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन - चतरा, जिला - चतरा, (झारखण्ड) - 825401  
फोन नं०- 06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :- 1079 / दिनांक :- 19/04/2024

सेवा में,

उपायुक्त,  
चतरा।

विषय :- 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा प्रस्ताव के FCA, 1980 Approval Processing के क्रम में Kml File की जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर ट्रांसमिशन टॉवर का निर्माण कार्य भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर किये गये उक्त टॉवर निर्माण के संबंध में विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।  
19/04/2024

AL



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन - चतरा, (झारखण्ड) - 825401

फोन नं०- 06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :- 2812..... चतरा, दिनांक :- 21/11/2025

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा।

सेवा में,

उपायुक्त,  
चतरा।

विषय :-

132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

- (1) इस कार्यालय का पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024
- (2) इस कार्यालय का पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024
- (3) आपका ज्ञापक 1348 दिनांक 03.12.2024

महाशया,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव के FC Act, 1980 [अब वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980] के तहत Approval Processing के क्रम में .kml file की जांच में पाया गया कि चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर ट्रांसमिशन टॉवर्सों का निर्माण कार्य भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का घोर उल्लंघन है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 1392 दिनांक 04.09.2023 द्वारा दो बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की गयी, जो निम्नवत् हैं :-

- (1) "The complete action taken report by state forest official (SFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done.
- (2) Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency."

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन - चतरा, (झारखण्ड) - 825401

फोन नं- 06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :-...../ दिनांक :-...../2024

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

सेवा में,

उपायुक्त,  
चतरा।

विषय :-

132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रस्तावकीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा प्रस्ताव के FC Act, 1980 (अब वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980) के तहत अनुमोदन Processing के क्रम में Kml File की जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत गैरमजरूआ जंगल-शाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर ट्रांसमिशन टॉवर का निर्माण कार्य भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है, जोकि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का घोर उल्लंघन है।

अतः पुनः अनुरोध है कि गैरमजरूआ जंगल-शाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर किये गये उक्त टॉवर निर्माण के संबंध में अपने त्तर से विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

80/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

पत्रांक 2830 / दिनांक 25/10/2024

प्रतिलिपि:- वरिय प्रबंधक, संरक्षण प्रमण्डल, झारखण्ड उर्जा संवर्धन निगम लिमिटेड, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि विषयक मामले में उपायुक्त, चतरा से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

25/10/2024

25/10/24

तत्पश्चात्, उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके झापांक 2925/रा०दिनांक 29.12.2025 द्वारा विषयांकित मामले में संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया, उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 117/रा०दिनांक 19.01.2026 (छाया प्रतिसलंग्न, अनु०-2) के माध्यम से चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) पर कुल 27 टॉवरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें से चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 14 टॉवर पूर्ण रूप से खड़ा किया गया है, तथा दो टॉवरों का Foundation Work किया गया है। इन 16 टॉवरों के अवैध निर्माण में सन्निहित Violation रकवा-0.22797 हे० है।

इस Violation रकवा के विरुद्ध संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा Consolidated Guidelines and Clarifications, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के FC Chapter-1, Para1.16 (ii) (a) के आधार पर निम्नवत् अनुशंसा की गयी है :-

*"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made"*

फलस्वरूप, उपरोक्त Violation Area पर पीनल एन.पी.वी. यथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पाँच गुणा एन.पी.वी. (Five Times NPV alongwith 12% Simple Interest), की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है।

302



## समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

ई-मेल : ac-chatra@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक- XVIII-04/2020-117/रा0

दिनांक- 19/01/2026

प्रेषक,

उपायुक्त,  
चतरा।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा  
उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा

विषय :-

चतरा जिलान्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरजमरूठ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने के फलस्वरूप वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा अन्य वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों व उल्लंघन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपके कार्यालय पत्रांक-2812, चतरा, दिनांक-21.11.2025 एवं पत्रांक-241 दिनांक-11.12.2024 तथा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय का आदेश ज्ञापक-2925/रा दिनांक-29.12.2025 एवं श्री स्वेताम सुमन, भा0व0से0, संलग्न पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा के पत्रांक-59, दिनांक-06.01.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि चतरा जिलान्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरजमरूठ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने के फलस्वरूप वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा अन्य वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति के द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त विषयवर्तित मामले में जांच समिति अनुशंसा की गई है जो इस प्रकार है- "penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि जांच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रोतर कार्रवाई की जाए।  
अनुसन्धक-संशुद्ध।

विश्वात्मभाजन

उपायुक्त,  
चतरा।

ज्ञापक- XVIII-04/2020-117.../रा0, दिनांक- 19/01/2026

प्रतिलिपि :-

वरीय प्रबंधक, संघरण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

उपायुक्त,  
चतरा।



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन - चतरा, (झारखण्ड) - 825401

फोन नं०- 06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :- 2812..... चतरा, दिनांक :- 2/11/2025

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

उपायुक्त,  
चतरा।

विषय :-

132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

- (1) इस कार्यालय का पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024
- (2) इस कार्यालय का पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024
- (3) आपका ज्ञापनांक 1348 दिनांक 03.12.2024

महाशया,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव के FC Act, 1980 [अब वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980] के तहत Approval Processing के क्रम में .kml file की जांच में पाया गया कि चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर ट्रांसमिशन टॉवरों का निर्माण कार्य भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का चोर उल्लंघन है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 1392 दिनांक 04.09.2023 द्वारा दो बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की गयी, जो निम्नवत् है :-

- (1) "The complete action taken report by state forest official (1)FO including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done.
- (2) Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency."

363

इस परिप्रेक्ष्य में गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि पर उक्त उल्लंघन के क्रम में विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र (1) एवं (2) द्वारा अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में आपके प्रासंगिक पत्र (3) के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये Penal NPV लेने के अनुरोध को अग्रसारित करते हुये विषयांकित मामले में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु, भारत सरकार द्वारा पृच्छित दोनों बिन्दुओं यथा बिन्दु (1) में उल्लेखित Erring Officials के विरुद्ध Prosecution Proceeding तथा बिन्दु (2) में वर्णित तथ्यों पर राजस्व विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई अबतक अपेक्षित है, जिसके कारण विषयक मामले का समुचित निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च पदाधिकारियों से भी इन बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

ज्ञातव्य है कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के किये गये उल्लंघन के विरुद्ध Penal NPV अथवा अन्य विधिक कार्रवाई करने का प्राधिकार मात्र भारत सरकार में निहित है, जिसपर प्रायः स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी/अन्य उच्च पदाधिकारियों से वस्तु-स्थिति प्रतिवेदन के साथ अनुशंसा ली जाती है।

अतः पुनः अनुरोध है कि गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर भारत सरकार के पूर्वानुमति के दिना किये गये उक्त टॉवर निर्माण के संबंध में अपने स्तर से विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि विषयक मामले में दोनों पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण हेतु अद्येतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल प्रमुख/कार्यकारी,

चुतरा कुत्तरी वन प्रमंडल।

21/11/2025

21/11/25

21-11-25



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।

वन भवन, चतरा - 825401

E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in

Phone : 898 7790213



M. S. Chaudhary  
Secretary  
Forest

पत्रांक- 59

दिनांक- 06-01-2026

सेवा में,

श्री श्वेताम सुमन, भा0व0र0  
संलग्न पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

उपायुक्त,  
चतरा।

विषय -

चतरा जिला अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा- हण्टरगंज) निर्माण के क्रम में गैरमजरूआ खास, जंगल झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) चिन्हित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका ज्ञापक- XVIII-04/2020-2925/रा0 दिनांक 29.12.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह सूचित करना है कि आधोहरस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कमिटी द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित कर लिया गया है तथा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,


*Shweta Suman*  
06/1/2026

संलग्न पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

*2026*

A 251  
09/01/26

66  
8/1/26



**Report of Committee on identification of GMJJ land (with area) impacted by  
previously constructed towers of 132 KV D/C Chatra-Hunterganj  
transmission line in Chatra district**

The committee held its first meeting on 31/12/2025 at Van Bhavan Chatra in which the scope of work was discussed with all team members. Committee member representing the user agency provided the detailed list of all towers which were either already erected or whose foundation work was already done on GMJJ & Forest Land. The list also included details of rest of tower proposed for erection on GMJJ & forest land. The committee reviewed the aforesaid detailed list of towers, *kml* file of the transmission line, land schedule of the project available with Chatra North and Chatra South Forest division office and latest google earth / maps satellite imagery to identify the GMJJ land over which tower erection / foundation work was done.

**Committee Proceedings:**


1) Upon review following observations were made:


- Total no. of towers in transmission line project- 108
- Locations where tower erection / foundation work complete - 49


Thus, 49 locations were to be checked for violations under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980*.


2) Out of 49 tower locations:

- Nature of land of 38 (fully erected) towers, visible in google earth / maps satellite imagery, was ascertained without doubt based on available records. Further nature of land of 6 towers (only foundation work), although not visible in satellite imagery, was also confirmed based on available land schedule. Thus, 44 tower locations didn't require on-site verification for nature of land.
- Remaining 5 tower locations (Annexure- 1) needed on-site verification to ascertain the nature of land. On-site inspection was done on 02/01/2026 in the presence of all committee members. 4 towers were found to be located on Raiyati land and 1 tower (AP 6/0) was found to be located partially on GMJJ land.

  
Smt. Reeta Kumari (SE Manager)  
Transmission Div., Hazaribagh  
(Member)

  
06/01/26  
Shri Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)

  
Shri Vaibhav Kumar Singh  
I.RDC, Chatra  
(Member)

  
Shri Shwetabh Suman (L)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

- 3) For towers on GMJJ land, it was decided that the area of tower foundation based on the approved engineering drawings provided by user agency to be considered as the area impacted by violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980*. For tower (AP 6/0) located partially on GMJJ land, impacted area was measured on-site with help of Ameen in presence of all committee members.
- 4) For remaining GMJJ land parcels in which tower erection is proposed for the 132 KV D/C Chatra-Hunterganj transmission line project, it was decided that such locations to be physically verified for any new violations.

Committee Findings

- 1) The committee made following observations with respect to violations by user agency in the 132 KV D/C Chatra-Hunterganj transmission line project:

Total No. of Locations with violations in GMJJ	27
--	----

- No. of locations where full tower erection done on GMJJ land - 23
- No. of locations where only foundation work done on GMJJ land - 4
- No new violations were found on any other GMJJ land in proposed transmission line alignment in the site verification


Thus, at 27 locations on GMJJ land, violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980* is confirmed. Total area impacted due to this violation is **4379.95 m<sup>2</sup> (0.43799 ha)**. Tower wise details attached in Annexure-II.

- 2) During the inspection, and as corroborated by satellite imagery, it was observed that nearly all of the 27 GMJJ land parcels in which violations have been confirmed are under cultivation, which indicates that the user agency appears to have committed an inadvertent error while executing the transmission line project in physically distinguishing the said land parcels as GMJJ.

  
Smt. Rupa Kumar (Asst. Manager)  
Transmission Div., Hazaribagh  
(Member)

  
Shri Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)

  
Shri Vaibhav Kumar  
LRDC, Chatra  
(Member)

  
Shri Shwetabh Suman (IFS)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

- 3) For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is diverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that: -

*"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by Inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."*

Thus, in light of the aforesaid provision with regards to penal NPV, further necessary action can be taken.

*Rupa*  
06/01/26

Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)  
Transmission Div., Hazaribagh  
(Member)

*Ami*  
06/01/26

Shri Ami Kumar  
Circle Officer, Chitra  
(Member)

*Vaibhav*  
06/01/26

Shri Vaibhav Kumar Singh  
I.R.D.C., Chitra  
(Member)

*Shwetabh*  
06/01/26


Shri Shwetabh Suman (I.F.S.)  
Attached Officer, Chitra  
(Chairman)

998

ANNEXURE - I

**SITE INSPECTION OF TOWER LOCATIONS OF 132 KV D/C HUNTERGUNJ-CHATRA TRANSMISSION LINE**

SL. NO.	TOWER LOCATION NO.	GEO-COORDINATES		MUTZA	THANA	PLOT	SHEET NO.	REMARKS	FINDINGS
		LATITUDE	LONGITUDE						
1	AP 68	24° 28' 50.70" N	84° 47' 13.51" E	KATHUN	171	11 & 9	1	TOWER FOUNDATION AT THE BORDER OF GMJJ & RAIYAT LAND. NEED TO CONFIRM WHETHER FOUNDATION LIES IN GMJJ.	PARTIALLY IN GMJJ
2	AP 90	24° 20' 19.64" N	84° 47' 11.41" E	GOBAROH	169	145 & 151	1	TOWER AT THE BORDER OF GMJJ & RAIYAT LAND. NEED TO CONFIRM WHETHER FOUNDATION LIES IN GMJJ.	RAIYATI
3	182	24° 28' 03.31" N	84° 46' 56.05" E	TETRA	155	3	1	TO CHECK WHETHER TOWER FOUNDATION ENCROACHES ON ADJACENT GMJJ PLOT IS OF SAME SOURCE & THANA.	RAIYATI
4	180	24° 19' 55.55" N	84° 46' 49' 28" E	TETRA SALDAHA	155/158	14 & 108	1	TOWER AT THE BORDER OF GMJJ & RAIYAT LAND. NEED TO CONFIRM WHETHER FOUNDATION LIES IN GMJJ.	RAIYATI
5	242	24° 16' 46.00" N	84° 47' 08' 54" E	BABISAKAM	161	40	1	JOML PILE SHOWS IT AS GMJJ NALA.	RAIYATI

  
 06/01/26  
 Smt. Deepa Kumari (S. Manager)  
 Transmission Div., Haryana  
 (Member)


  
 Shri. Add Kumar  
 Circle Officer, Chattr  
 (Member)

  
 Shri. V. S. Singh  
 LDC, Chattr  
 (Member)

  
 Shri. Shashi Sravan (L.P.S.)  
 06/01/26  
 Attached Officer, Chattr  
 (Chairman)

295

# PHOTOGRAPHS OF SITE INSPECTION (02/01/2026)




R L

BB




**ANNEXURE-II**

GMJJ AREA STATEMENT FOR 132 KV D/C CHATRA-HUNTERGANJ TRANSMISSION LINE VIOLATION										
SL.NO.	TOWER LOCATION	TYPE OF TOWER	STATUS	MOUZA	THANA	PLOT	AREA (Sq.m)	AREA (Ha)	FOREST DIVISION	REMARKS
1	AP 60	DD+0	FULLY ERECTED	KATHUN	171	9	64.6900	0.00647	CHATRA NORTH	PARTIALLY IN GMJJ
2	61	DA+9	FULLY ERECTED	KATHUN	171	9	87.5722	0.00876	CHATRA NORTH	GMJJ
3	AP 70	DD+3	FULLY ERECTED	KARMA	173	327	207.6193	0.02076	CHATRA NORTH	GMJJ
4	AP 80	DD+3	FULLY ERECTED	BASARIA	170	56	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
5	AP 100	DD+3	FULLY ERECTED	KON	154	14	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
6	107	DB+3	FULLY ERECTED	TETRA	155	1	135.7325	0.01357	CHATRA NORTH	GMJJ
7	AP 110	DD+3	FULLY ERECTED	SALDALHA	158	117	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
8	AP 140	DC+6	FULLY ERECTED	BEDUALI	159	27	163.8164	0.01638	CHATRA NORTH	GMJJ
9	AP 180	DC+9	ONLY FOUNDATION	MONGAWADAJHA	157	77	185.2865	0.01853	CHATRA NORTH	GMJJ
10	187	DB+3	ONLY FOUNDATION	MONGAWADAJHA	157	77	117.0906	0.01171	CHATRA NORTH	GMJJ
11	191	DA+6	FULLY ERECTED	KURID	288	2	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
12	207	DA+6	FULLY ERECTED	KURID	288	2	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
13	211	DB+9	FULLY ERECTED	KURID	288	54	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
14	AP 220	DC+6	FULLY ERECTED	KURID	288	205	157.0510	0.01571	CHATRA NORTH	GMJJ
15	AP 230	DD+3	FULLY ERECTED	BAKHARDIH	273	221	161.2646	0.01613	CHATRA NORTH	GMJJ
16	237	DA+6	FULLY ERECTED	BAKHARDIH	273	218	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
17	AP 250	DC+0	FULLY ERECTED	BAKHARDIH	273	218	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
18	AP 260	DC+0	FULLY ERECTED	KUBA	165	2	116.5320	0.01165	CHATRA SOUTH	GMJJ
19	281	DB+6	FULLY ERECTED	KUBA	165	2	208.8603	0.02089	CHATRA SOUTH	GMJJ
20	AP 290	DC+9	FULLY ERECTED	KUBA	165	2	136.3290	0.01363	CHATRA SOUTH	GMJJ
21	AP 320	DC+9	FULLY ERECTED	SIKID	160	192	185.2865	0.01853	CHATRA SOUTH	GMJJ
22	AP 340	DD+6	FULLY ERECTED	SIKID	160	337	185.2865	0.01853	CHATRA SOUTH	GMJJ
23	AP 360	DD+3	FULLY ERECTED	SIKID	160	337	225.9911	0.02260	CHATRA SOUTH	GMJJ
24	AP 610	DD+9	FULLY ERECTED	SANGHARI	171	80	207.6193	0.02076	CHATRA SOUTH	GMJJ
25	AP 630	DC+3	ONLY FOUNDATION	DARHA	157	702	260.4350	0.02604	CHATRA SOUTH	GMJJ
26	AP 640	DD+9	FULLY ERECTED	DARHA	157	707	149.9890	0.01500	CHATRA SOUTH	GMJJ
27	AP 650	DD+0	ONLY FOUNDATION	DARHA	157	707	202.7317	0.02027	CHATRA SOUTH	GMJJ
				DARHA	157	706	161.1630	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
					TOTAL		4379.95	0.43799		

  
 Smt. Rupa Kumari (Sr. Messenger)  
 Transmission Div., Hazaribagh  
 (Member)

  
 Shri Anil Kumar  
 Circle Officer, Chatra  
 (Member)

  
 Shri Vaibhav Kumar Singh  
 LRDC, Chatra  
 (Member)

  
 Shri Shwetabh Suman (I.F.S.)  
 Attached Officer, Chatra  
 (Chairman)

3703-03

181  
29

Construction of 132KV D/C Hunterganj-Chatra Transmission Line under NIT  
No. 309 (Length- 19.7085Km)  
Chatra North Forest Division, Chatra.  
SITE INSPECTION REPORT OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, CHATRA NORTH FOREST DIVISION

The proposed Construction of 132KV D/C Hunterganj-Chatra Transmission Line under NIT No. 309 (Length- 19.7085Km), Chatra North Forest Division was inspected on 20.02.2021. The Manager, JUSNL, Chatra along with subordinate staffs, and RFO, Hunterganj were present in the site inspection.

In Chatra North Forest Division, 132KV D/C Transmission Line (Hunterganj-Chatra) passes through Seventeen villages having Protected Forest (PF) Bonra, Kangurua, Karma, Bhoktadih, Kathoun, Basariya, Gobardih, Kon, Tetarla, Sildaha, Bedouli, Kanchan, Mungwadaha, Bakain, Karailibar, Kurid, and Bakhardih. From Barisaram to Mohnadih part of this Transmission Line in Chatra South Forest Division. During this inspection it was observed that the forest land required for this project falls partly in plantation of 2006-07 having density 0.6 and some pathces of moderate dense forest with shrubs cover along with sporadic patches of eroded rocky areas. Naturally growth of Butea monosperma, Mallotus philippensis, Acacia catachu, Phoenix Spp., Cassia siamea were observed all along forest area and plantation area.

On inspection of the site, it is found that land required by the User Agency is a Protected Forest (PF) land measuring 23.3355ha. (Forest Land-13.5740ha.+ G.M.JJ- 9.7615ha.)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col-2 of Part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

There is no any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area.

There is no any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area.

Date : 20 Feb, 2021  
Place: Chatra

(Dr. R. Thanga Pandian, IFS)  
Divisional Forest Officer  
Chatra North Forest Division


Full Title of the Project :-  
Construction of 132KV D/C Hunterganj-Chatra Transmission Line under NIT No. 309  
File No. :- FP/JH/TRANS/50112/2020  
Date of Proposal :- 03 Oct 2020

3730-04

3730



Tower No. AP6/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village-Kathaun)



Tower No. AP6/0 already erected as on 25.02.2021 (Village-Kathaun)

989




**Tower No. 6/1 was not erected as on 15.01.2019 (Village-Kathaun)**




**Tower No. 6/1 already erected as on 25.02.2021 (Village-Kathaun)**

788



Tower No. AP 7/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village-Karma)



Tower No. AP 7/0 already erected as on 25.02.2021 (Village- Karma)

87



Tower No. AP 8/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village- Basaria)



Tower No. AP 8/0 already erected as on 25.02.2021 (Village- Basaria)

286




Tower No. AP 10/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village- Kon)




Tower No. AP 10/0 already erected as on 25.02.2021 (Village- Kon)

285



**Tower No. 10/1 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Tetaria)**



**Tower No. 10/1 is already erected as on 12.12.2023 (Village- Tetaria)**

284



**Tower No. AP11/0 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Sildaha)**




**Tower No. AP11/0 already erected as on 12.12.2023 (Village- Sildaha)**

983



**Tower No. AP14/0 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Bedauli)**



**Tower No. AP14/0 already erected as on 12.12.2023 (Village- Bedauli)**

282



**Tower No. 18/0 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Mungwadaha)**




**Tower No. 18/0 Foundation work already done as on 12.12.2023 (Village- Mungwadaha)**

281



Tower No. 18/1 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Mungwadaha)



Tower No. 18/1 Foundation work already done as on 12.12.2023 (Village- Mungwadaha)

130



Tower No. 19/1 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Kurid)



Tower No. 19/1 already erected as on 12.12.2023 (Village- Kurid)

279



Tower No. 20/1 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Kurid)



Tower No. 20/1 already erected as on 12.12.2023 (Village- Kurid)

970



Tower No. 21/1 was not erected as on 15.01.2019 (Village- Kurid)



Tower No. 21/1 already erected as on 25.02.2021 (Village- Kurid)

277



Tower No. AP 22/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village- Bakhardih)



Tower No. AP 22/0 already erected as on 25.02.2021 (Village- Bakhardih)



Tower No. AP 23/0 was not erected as on 15.01.2019 (Village- Bakhardih)



Tower No. AP 23/0 already erected as on 25.02.2021 (Village- Bakhardih)

278



Tower No. 23/1 was not erected as on 25.02.2021 (Village- Bakhardih)



Tower No. 23/1 already erected as on 12.12.2023 (Village- Bakhardih)



# कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

फोन नं0 - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

34

सेवा में,

पत्रांक - 34 दिनांक - 17/11/26

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
हजारीबाग।

विषय-

मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल- 29.8784 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल - 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं आपका ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 13 दिनांक 06.01.2026 द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित विन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन आपके कार्यालय में समर्पित किया गया था। पुनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 288 दिनांक 06.02.2026 द्वारा संशोधित विन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। अनुपालन की स्थिति निम्नवत है-

क्रम सं०	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
01	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के प्रस्तावित मौजा डाढा में 02 एवं बारिसारम में 01 कुल 03 अवैध तरीके से वनभूमि में ट्रांसमिशन टावर का निर्माण कार्य किया गया है जिसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संसुगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं ज्ञापांक 2196 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दोनों वाद का अभियोजन प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है (अभियोजन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न- अनु0 01)। वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में लंबित है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों टावरों के निर्माण के क्रम में कुल 0.0471 हे0 वनभूमि प्रभावित है जिसका उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में किया जा चुका है। तीनों टावरों के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों (1) श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमण्डल, झारखण्ड

Chatra Hunterganj 132 Kv  
कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक  
हजारीबाग  
पत्रांक 353  
दिनांक 17.02.26

		<p>उर्जा संचरण नि० लि०, चतरा (2) श्री मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्रा० लि० पहली मंजिल, आनन्द विहार, हज हाउस, कडरू, राँची का नाम भी अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है।</p> <p>साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पुर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी पर किये गये टावरों के निर्माण एवं प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त, चतरा ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 19.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में कुल टावरों की संख्या-27 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.43799 हे० अंकित है (उपायुक्त, चतरा का प्रतिवेदन संलग्न-अनु० 02)</p>
02	<p>Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना को परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2020 को समर्पित किया गया था। साथ ही Satellite imagery के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है (फोटो संलग्न- अनु० 03)।</p>

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमावली, 2023 के अध्याय-1 पारा 1.16 (ii)(a) में निहित प्रावधानों के आलोक में वनभूमि का प्रभावित रकबा 0.0471 हे० एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.43799 हे० कुल प्रभावित रकबा 0.48509 हे० पर पैनल एन०पी०भी० लगाने हेतु अनुशंसा करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित संशोधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चतरा।



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213



272

पत्रांक:- 288

दिनांक:- 06/02/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार, भा0व0से0  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

132 के0वी0/डी0सी0 चतरा से हण्टरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल-29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल- 23.3355 हे0 कुल 53.2129 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

आपका पत्रांक 464 दिनांक 12.08.2025

महाराय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयक प्रस्ताव पर दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। पृच्छाओं का निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 3437 दिनांक 27.12.2025 द्वारा समर्पित की गई थी। पुनः संशोधित निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	<p>पृच्छा संख्या-01 के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा अवैध रूप से वनभूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये दो टॉवरों का निर्माण के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वन अभियोजन प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा को भेजी गई है, जो उनके स्तर पर लंबित है।</p> <p>(क) इस संबंध में कहना है कि दो टॉवरों के निर्माण के क्रम में प्रभावित वनभूमि का रकबा स्पष्ट नहीं है।</p> <p>(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों (पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों) के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।</p>	<p>विषयगत परियोजना में भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा झाडा में दो (2) एवं बारिसारम में एक (1) कुल तीन टॉवरों का निर्माण किया गया है। वनभूमि में अवैध तरीके से किये गये टॉवर निर्माण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं ज्ञापांक 2198 दिनांक 29.10.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है।</p> <p>वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0-1)</p> <p>(क) तीनों टावरों के निर्माण में कम में प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 0.0471 हे0 है।</p> <p>(ख) तीनों टावर के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों नाम निम्नवत् है।</p> <p>1.सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा।</p> <p>2.मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस्तोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्रा0लि0, पहली मंजिल, आन्नद विहार, हज हाउस के पीछे, रांची झारखण्ड।</p> <p>दोनों पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदनों में अंकित है।</p> <p>साथ ही विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाडी भूमि</p>

		<p>पर किये गये टॉवरों का निर्माण एवं प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था।</p> <p>उक्त मामले में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके पत्रांक 117 दिनांक 19.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में कुल टावरों की सं०-27, एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.43799 हे० अंकित है। (उपायुक्त, चतरा का प्रतिवेदन संलग्न अनु०-2)</p>
2	<p>पृच्छा संख्या-02 के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत समर्पित प्रस्ताव के उपरांत किये गये उल्लंघन के विरुद्ध आवश्यक अभिलेख की मांग की गई है, जिसमें आपके द्वारा स्पष्ट जवाब समर्पित नहीं किया गया है।</p>	<p>विषयक परियोजना को परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2020 को समर्पित किया गया था। साथ ही Satellite imagery के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रयांक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है। फोटो संलग्न- अनु०-3)</p>

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमावली, 2023 के अध्याय-1 पारा 1.16 (ii)(a) में निहित प्रावधानों के आलोक में वनभूमि का प्रभावित रकबा 0.0471 हे० एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.43799 हे०, कुल प्रभावित रकबा- 0.48509 हे० पर पीनल एन०पी०भी० लगाने हेतु अनुशंसा करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

*Mhe*

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

05/09/2026

# वन विभाग, झारखण्ड

570

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट री० Q.09 P ता० 20.01.2023

30.01.2023

क्षेत्र का नाम - चतरा वन प्रक्षेत्र

राजस्य केन्द्र  
रेंज

## अपराध का स्वरूप

### अवैध अतिक्रमण

पता चलने का तारीख और समय - दिनांक 18.12.2022 करीब 02:00 बजे दिन

घटना स्थल - डाइहा वन

किसने पता लगाया - श्री अनुज कुमार, वनरक्षी

वन अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश

यह प्रमण्डल वन कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989-90) की धारा 33

## अभियुक्तों का नाम।

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	पता
1	सुनिल कुमार, संचरण अधर प्रमण्डल, झारखण्ड उर्जा संचरण निमितेड		चतरा।
2	मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्टक्वर्स प्र० लि०		पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पिछे कडरू, रौंघी, झारखण्ड, पिन-834002

## साक्षियों का नाम।

क्र०सं०	नाम
1	श्री अनुज कुमार, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
2	श्री रोहित प्रसाद यादव, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
3	श्री निशांत कुमार, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
4	श्री गोपाल गंडु, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
5	श्री प्रभात कुमार, चतरा वन परिसर पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
घतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।  
द्वारा :- उचित माध्यम  
महाराय,

प्रतिवेदन देना है कि श्री अनुज कुमार, वनरक्षी का OR-No-01871 दिनांक 18-12-2022 dt 19-12-2022 को प्राप्त किया। यह अपराध प्रतिवेदन डाड़हा वन में अवैध अतिक्रमण से संबंधित है।

मैंने इस अपराध प्रतिवेदन की जाँच दिनांक 21.12.2022 को संबंधित वनरक्षी के साथ घटनास्थल पर जा कर किया। वनरक्षी का कथन सत्य पाया। जाँच के क्रम में घटनास्थल पर नक्शा के सहारे निरीक्षण करने पर पाया कि अभियुक्तों द्वारा डाड़हा वन में वनसीमा के अंदर अवैध रूप से 03 डीसमिल वनभूमि पर 132 KV D/C घतरा से इंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के एक टावर का निर्माण किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल पर ही अभियुक्तों को पुछताछ हेतु बुलवाया गया परंतु वे लोग जाँच में उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्तों ने यह अतिक्रमण वनसीमा के अंदर अवैध रूप से टावर निर्माण कर किया है।

पुनः मैंने घटनास्थल का नक्शा के अनुसार सर्वे कर मिलाया तो पाया कि अभियुक्तों ने यह अवैध अतिक्रमण डाड़हा वन के प्लॉट नं० .....708.....में किया है। यह प्लॉट बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही अधिसूचित किया जा चुका है जिसकी अधिसूचना सं० CPP-10171/52-30R dt 2-1-59 है। पुनः मैंने घटनास्थल का नक्शा बनाया।

अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989-90) की धारा 33 के तहत दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध किया है।

अतः इस मुकदमे को उचित न्याय हेतु न्यायलय में भेजने की कृपा की जाय।


क्षति विवरण:-

1. वन भूमि अतिक्रमण लगभग 03 डी०
2. जुर्माना+हर्जाना की राशि----- 10,000.00 रु०

कुल-10,000.00 रु०  
(दस हजार रुपये मात्र)।

अनुलग्नक:-

1. OR-No-01871 दिनांक 18-12-2022 की छायाप्रति।
2. मुकदमा न्यायलय दक्षिणी वन प्रमण्डल घतरा को भेजे गए पत्र की छायाप्रति।
3. घटनास्थल का फोटो की छायाप्रति।
4. घटनास्थल का नक्शा का छायाप्रति।

आपका विश्वासी  
  
21.12.22  
वन परिषद पदाधिकारी  
घतरा

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF JHARKHAND  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिचरान विभाग, झारखण्ड

Chitra, South Forest Division.

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

No. CS 01871

Note: - This report is to be submitted within 24 hours of the detection.  
नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दखिला करना चाहिये।

Offence Report No.....

Date.....

क्रमांक 01871

तारीख 18/12/2022

Place of occurrence -  
घटना स्थल -

डाइला वन (भाग - चतरा)

Date and hour of detection -

पकड़ने का समय और तारीख - लगभग श्रीवा 02:00 बजे दिन, 18/12/2022

Name(s) parentage and residence  
of offenders -

नाम अपराधी और उसके पिता का  
नाम एवं पता -

(1) सुनिष कुमार, प्रबंधक (सह)

संरक्षण अवर प्रमंडल, संरक्षण डी.जी. संरक्षण वि. वि.  
चतरा।

(2) मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर,

एन.ए.ए. पौनर स्वच्छता प्र. वि.

पहली संजीव, आनंद विहार, हज हाउस के पीछे,  
कडरु, राँची, संरक्षण, पिन - 834002.

Property seized, if any -

चट्टी माल, अगर कोई - X

i. Custody of seized property -

चट्टी माल का जिम्मेदार - X

5. Name(s), parentage and residence  
of witness(es), if any -

नाम गवाह और उसके पिता का नाम  
एवं पता -

(1) श्री रोहित प्रकाश भायन, वनरक्षी, चतरा वन प्रमंडल।

(2) श्री मिश्रांत कुमार, " " " "

(3) श्री गोपाल गंधु, " " " "

7. Nature of Offence and facts of the case -

267

सेवा में:

वन परिषद पर्यावरण विभाग,  
चतरा वन परिषद।

महाराज,

साबर सूचित करना है कि मैं अपनी चाकरी/साधारण  
के साथ अमीन द्वारा डाइहा वन का सर्वे (एक गाँव) किया। सर्वे एवं  
मापी के तम में पता चला कि 132 KV O/C चतरा से टेंटरगंज  
टोलमिरान थार्डन के सब टॉवर का निर्माण ननभूमि में किया  
जाया है। पुद्द-~~न~~ लक्ष्य करने पर पता चला कि यह अर्थव टॉवर  
का निर्माण उल्टे लक्ष्य पर नामर्ज अभियुक्तों के द्वारा किया गया।  
तत्पश्चात् धरनापत्र का भेजा गया। अतः श्रीगण से अनुरोध है कि इसे जांच  
कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत प्राप्त हो।

क्षति:- वन भूमि अतिक्रमण  
श्रीव - तीन (03) बीघे

आपका विरवाली  
अनुज कुमार, बी-6  
18/12/2022  
डाइहा उपखण्ड

966

कार्यालय- वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर

सेवा में,

पत्रांक-

दिनांक-

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी  
आयुक्त न्यायालय, चतरा।

Complaint Case - 1300/2022

विषय-

अपराध प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाराज,

सादर सूचित करना है कि अनुज कुमार वनरक्षी, ने साथी वनरक्षियों के साथ अनीन द्वारा डाडहा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एवं मापी के क्रम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रॉसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ-ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण 1. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संघरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संघरण नि0 लि0, चतरा 2. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, रौंघी, झारखण्ड, पिन-834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटना स्थल का फोटो लिया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या-01871 दिनांक-18.12.2022 को निर्गत कर समर्पित किया। अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989-90) की धारा 33 के तहत जूर्म किया है, जो दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मुकदमे को स्वीकार करते हुए उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त उचित माध्यम द्वारा शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक:-

1. वनरक्षी का जूर्म प्रतिवेदन संख्या-01871 दिनांक-18.12.2022 की मूल प्रति।
2. घटना स्थल का फोटो।

आपका विश्वासी

ह0/-

वन परिसर पदाधिकारी,  
चतरा वन परिसर।

265

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर।

हास्यंक- 466



दिनांक- 19.12.2022

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा वन प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु  
समर्पित।

*Yona Dine*  
19.12.2022

वन परिसर पदाधिकारी,  
वन परिसर पदाधिकारी,  
चतरा वन परिसर।

964



DR. No - 01871, dt. - 18/12/2022

डाइहा वन

75

मस कुल नाम - डाडका


पाना नं - 157

माना + मिला - मर्या

आदिमण पत्रा सं - 702

आदिमण रकबा -

मैमाना 16" = 1 मीटर (3 डी. 8)



संकेतः

== - सडक

□ - आदिमण क्षेत्र

प. म. त. कुल

962

वन विभाग, झारखण्ड

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।



Handwritten signature/initials.

जन्म रिपोर्ट सं० 2021  
दि० 20.01.2023  
चतरा राजस्व केन्द्र

झाप सं० 176  
ता० 15.03.2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

को जन्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ जग्रासरित।

Prosecution Sanctioned against the accused No.

Handwritten text under prosecution sanction.

वन क्षेत्र पदाधिकारी

चतरा वन क्षेत्र

प्रभारी पदाधिकारी  
राजस्व केन्द्र।

Divisional Forest Officer  
Chatra South Forest Division

झाप सं० 1498  
ता० 05/07/2023

मजिस्ट्रेट को

आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजों भेजी जाती है।

Handwritten list of documents: (1) जन्ती रिपोर्ट (2) आदेशिका सं० 176/2023/वन प्रमण्डल।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

प्रभारी पदाधिकारी  
राजस्व केन्द्र।

Handwritten signature/initials.

761

साक्षात्कार

निकाशजीवन 150 फुट


उपरोक्त <sup>सिद्धि नं. 150 फुट</sup> बॉर्ड से संबंधित घटना की 2 वें वनपाल

घटना के द्वारा कुरैके आदिग आगियौणन संविधान शर्तों पर  
किया गया है वनपाल की जान रखें लका की श्रुत्य भाषा।

आम: आगुजौण है कि इस डेस की 0 भाष

हनु 0 आगुलाय में भेषण से कृपा ही जाए।

निकाशजीवन



13.03.2023

वन क्षेत्र पदाधिकारी  
चतरा वन क्षेत्र

2024

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

चतरा तक्षिणी वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं०..... 73P ..... ता० 25/09/2024

प्रक्षेत्र का नाम - चतरा वन प्रक्षेत्र | राजस्व केन्द्र  
| रेंज

**अपराध का स्वरूप**

**अवैध अतिक्रमण**

पता चलने का तारीख और समय - दिनांक 14.05.2024 करीब 08:00 बजे सुबह

घटनास्थल - डाढ़ा वन (थाना-चतरा)

किसने पता लगाया - श्री अनुज कुमार, वनरक्षी

वन अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश

यह प्रमण्डल वन कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार संशोधन अधिनियम 1989-90) की धारा 33

**अभियुक्तों का नाम।**

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	निवास स्थान		
			गाँव	थाना	जिला
1	सुनिता देवी	पलु उरांव	डाढ़ा	चतरा	चतरा
2	सुनिल कुमार	पद नाम-प्रबंधक (त०)	संवरण अवर प्रमण्डल, झारखंड राजा संवरण नि० लि०, चतरा।		
3	मनोज कुमार झा,	पद नाम- प्रोजेक्ट मनेजर,	एनोसिएट पीवर स्टेशन प्र० लि०, पहली मंजिल, आनन्द विहार, हज हॉटल के पीछे, कडल, रौंटी, झारखण्ड, पिन-834002		

**साक्षियों का नाम।**

क्र०सं०	नाम
1	श्रीमति सुनिता तिग्गा, वनरक्षी, चतरा वन प्रक्षेत्र
2	श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, वनरक्षी चतरा वन प्रक्षेत्र
3	श्री रोहित प्रसाद यादव, प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी, चतरा परिसर

989

## विस्तार पूर्णक राप्ती तथ्यों की पूरी रिपोर्ट

सेवा में,

वन प्रमोशन अधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमोशन।

द्वारा -

उचित मातम

विषय -

वनरक्षी द्वारा निर्गत जूर्म प्रतिवेदन संख्या 02169 दिनांक 14.05.2024 का जूर्म सह अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाराज,

सादर सूचित करना है कि दिनांक-14.05.2024 कक्षीय 04:00 बजे शाम श्री अजुज कुमार, वनरक्षी अपने साथी वनरक्षी के साथ अग्नि द्वारा डाढ़हा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एवं मापी के क्रम में पता चला कि 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ-ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व में ही 1. सुनिता देवी, पति-पलु उरांव, ग्राम डाढ़ा, पंचायत- डाढ़हा, थाना-चतरा, जिला-चतरा, 2. सुनिल कुमार , प्रबंधक त0 संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0 चतरा 3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजिल, आनन्द बिहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, रौंघी, झारखण्ड, पिन-834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटनास्थल का मुजायना किया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या-02169 दिनांक-14.05.2024 निर्गत कर समर्पित किया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-55 दिनांक-14.05.2024 के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है जिसका कम्प्लेन केस नं0 608/2024 है।

उक्त घटना की जांच मैंने संबंधित वनरक्षी के साथ दिनांक 16.05.2024 को घटनास्थल पर जाकर किया। वनरक्षी का रिपोर्ट सत्य पाया। यह भी पाया कि यह टावर निर्माण कार्य 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन योजना के तहत अभियुक्त संख्या-02 सुनिल कुमार , प्रबंधक त0 संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0 लि0 चतरा तथा अभियुक्त संख्या-03 मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजिल, आनन्द बिहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, रौंघी, झारखण्ड, पिन-834002 के द्वारा बिना अग्नापति प्रमाण पत्र के किया गया है। मैंने वनरक्षी के माध्यम से अभियुक्तों को बुलवाया तो अभियुक्त संख्या-01 सुनिता देवी, पति-पलु उरांव ग्राम+पंचायत-डाढ़हा जिला-चतरा, घटनास्थल पर उपस्थित हुई। पुछ-ताछ में अभियुक्त ने बताया कि उन्हें (अभियुक्त संख्या-01 को) कल्याण विभाग, चतरा के द्वारा डाढ़ा वन में 2.60 ए0 वन भूमि पर वन पट्टा दिया गया है तथा इसी आवंटित पट्टे की वन भूमि पर उक्त टावर का निर्माण किया गया है। चूंकि पट्टा देने का मूल उद्देश्य यह है कि लागू अपने जिविकोपार्जन हेतु उक्त भूमि पर जोत-कोड़, खेती-बारी कर सकें किंतु अभियुक्त ने प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इस केस में अभियुक्त संख्या-02 वॉर 03 से अनुचित लाभ प्राप्त कर डाढ़ा वन के प्लॉट संख्या-704 में अवैध रूप से टावर का निर्माण किया है। तत्पश्चात मैंने मानचित्र के सहारे सर्वे कर घटनास्थल ( डाढ़हा सुरक्षित वन ) का नक्शा घटनास्थल पर ही तैयार किया तो पाया कि अभियुक्तों ने यह अवैध अतिक्रमण डाढ़हा वन के प्लॉट नं0-704 में किया है। यह प्लॉट बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही अधिसूचित किया जा चुका है जिसकी अधिसूचना सं0 C.P.F. 10171/52-30-R-dt-02-01-53 है। जांच के क्रम में पाया कि अभियुक्तों ने 02 डी0 वन भूमि का अतिक्रमण टावर निर्माण के लिए किया है। अभियुक्तों ने वन भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण किया है। जिसके लिये अभियुक्तगण दोषी एवं दण्डनीय हैं।

अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989-90) की धारा 33 के तहत दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध किया है।

अतः अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन की घटना को सत्य पाकर अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है, साथ ही इस मुकदमे को उचित न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाय।

इति विवरण:-

- 02 डीसमील वन भूमि, अतिक्रमण -
- पर्यावरणीय क्षति की राशि -

80,000.00 ₹0

1,00,000.00 ₹0

कुल-1,80,000.00 ₹0

(एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

258

अनुसूची—

1. OR-No-02160 दिनांक 14.05.2024 की समाप्ति।
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नारायण को भेजे गए पत्र की समाप्ति।
3. घटनास्थल को भ्रमण की समाप्ति।
4. अतिरिक्त संख्या-01 (सुनिता देवी) को भेजे गए पत्र की समाप्ति।

आपका विश्वासी

*P. S. Jaiswal*  
25.07.2024

प्रभासी नगरपालिका अधिकारी,  
नारायण नगर परिषद।

257

कार्यालय— वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर

पत्रांक- 55

दिनांक-11/05/2024

सेवा में,

मुख्य न्यायिक न्यायाधिकारी  
रजभाहार न्यायालय, चतरा।

विषय—

अपराध प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाराय,

सादर सूचित करना है कि अनुज कुमार वनरक्षी, ने साथी वनरक्षियों के साथ अभीन द्वारा डाडहा वन का सर्वे एवं मापी किया। सर्वे एवं मापी के क्रम में पता चला कि 132 KVD/C चतरा से इंटरगंज ट्रॉन्समिशन लाईन के एक टॉवर का निर्माण वनभूमि में किया गया है। पुछ-ताछ करने पर पता चला कि यह अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व में ही 1. सुनिता देवी, पति-पलु उरांव, ग्राम-डाढ़ा, पंचायत-~~डाढ़ा~~, थाना-चतरा, जिला-चतरा 2. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संघरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संघरण नि0 लि0, चतरा 3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात वनरक्षी ने घटना स्थल का मुआयना किया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध जूर्न प्रतिवेदन संख्या-02169 दिनांक-14.05.2024 को निर्गत कर समर्पित किया। अनियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989-90) की धारा 33 के तहत जूर्न किया है, जो दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मुकदमे को स्वीकार करते हुए उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन जाँचोपरांत उचित नाभ्यन द्वारा शीघ्र ही समर्पित किया जाएगा।

अभियुक्तों का नाम एवं पता:-

1. सुनिता देवी, पति-पलु उरांव, ग्राम-डाढ़ा, पंचायत-~~डाढ़ा~~, थाना-चतरा, जिला-चतरा
2. सुनिल कुमार, प्रबंधक (त0), संघरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संघरण नि0 लि0, चतरा
3. मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्र0 लि0, पहली मंजील, आनन्द विहार, हज हॉउस के पीछे, कडरू, राँची, झारखण्ड, पिन-834002

अनुलग्नक:-

1. वनरक्षी का जूर्न प्रतिवेदन संख्या-02169 दिनांक-14.05.2024 की मूल प्रति।

आपका विश्वासी

ह0/-

वन परिसर पदाधिकारी,  
चतरा वन परिसर।

C.C.No. 608/2024

MLC  
14.5.24

सेवा में

वन परिसर पदाधिकारी,  
-थला वन परिसर।

महोदय,

सादर सूचित करना है कि मैं आपने सहयोगी  
नरेशी के साथ अभी पूरा जस्ता वन का कार्य एवं माफी  
लिमा। माफी के आ पता पता कि 132 KV म/ए - चतरा  
के इंटरजॉन ट्रांसमिशन लाइन के एक टॉवर का निर्माण  
व्यवस्था में लिमा गया है। पुढे जाद करने पर पता  
चला कि अवैध टॉवर का निर्माण पूर्व में ही (1) दुनिया  
देवी, पति - पालु डाँव, ग्राम - डाँव, थाना - जिला - चतरा

(2) सुनील कुमार प्रबोध (त०), संचरण अवर प्रमण्डल  
अवरकक्ष इकाई संचरण नि० लि० चतरा (3) मनोज कुमार का  
प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सिस्टेंट चॉकर स्ट्रुक्चरल प्र० लि० पल्ली  
मंजिल, आनन्द विहार, एन हॉटल के पीछे, कडरु, राँची,  
झारखण, पिन - 834002 के द्वारा लिमा गया है। तत्पश्चात्  
सम्बन्धी ने धरनास्थल का मुआयना लिमा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इसे जाँच  
कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अति:-

① वन प्रति अधिकारी - करीब दौ (02) जिला जिला।

आपरा निवासी  
अनुज कुमार, क.२  
14/05/2024

255

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, चतरा वन परिसर।

जापान- 55

दिनांक- 14/05/2024

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा वन प्रयोगशाला के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
रामपुर।

*Rohit prasad*  
वन परिसर पदाधिकारी,  
चतरा वन परिसर।  
14/05/24

उपावधि-2

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय  
अनुसूचित जनजाति और अन्य साम्प्रदायिक वन निचाली (वन अधिकारों की सन्ध्या) नियम, 2008  
का नियम 8 (ज) देखें

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक(को) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) श्रीमती सुमिता वैदी  
पति:- बलु उरांव
2. पिता गजा का नाम : लच्छू उरांव
3. जातियों का नाम : पट्ट उरांव, छामिठेक कुच्छ, खण्डा कुच्छ, लुशुगु कुच्छ, बोधनी कुच्छ, खण्डा कुच्छ.
4. पता : गांव डाहा, पंचायत-पकरिया  
जिला- चतरा
5. ग्राम : डाहा
6. पंचायत : पकरिया
7. प्रखण्ड/खंडल : चतरा



952

Schedule XVII, Form No. 21A.

FOREST, ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF JHARKHAND  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

*Handwritten signature and date: 14/05/2024*

No. CS 02168

Chatra, South Forest Division.

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

Note - This report is to be submitted within 24 hours of the detection.  
नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence Report No.....

Date.....

दुर्घटना नम्बर 02168


तारीख 14/05/2024

- Place of occurrence - *डाइला वन (शाना-चतरा)*  
घटना स्थल -
- Date and hour of detection - *शुक्रवार सुबह 8:00 बजे (दिनांक 14/05/2024)*  
पकड़ने का समय और तारीख -
- Name(s) parentage and residence of offenders -  
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम एवं पता -
  - शुनिता देवी, पति-पल्लु उराण, ग्राम-डाइला, शाना न जिला-चातरा।*
  - शुनिता कुमार, प्रबंधक (तं), संचरण उच्च प्रमंडल, सारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, चतरा-*
  - मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एमोसिफ्ट पावर स्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड, पद्मिनी संजोता आमद निगर, एज हाऊस डे पीट, इडर, राँची, झारखण्ड, पिन - 834002.*
- Property seized, if any -  
जप्त माल, अगर कोई - *X*
- Custody of seized property -  
जप्त माल का जिम्मेदार - *X*
- Name(s), parentage and residence of witness(es), if any -  
नाम गवाह और उसके पिता का नाम एवं पता -
  - श्रीमती शुनिता मिश्रा, तनवी नगर, राँची-*
  - श्री मनोज कुमार मिश्रा, " " " "*
- Nature of Offence and facts of the case -  
दफ्तरील और बयान शर्त - *अज्ञेय उपायुक्त / P.T.O.*

251



महेशपुर गाप - बाहडा  
 थाना नं - 157  
 थाना - चररा  
 अनिक्रमि न क्षेत्र -  $\square$   
 प्लॉट नं -  
 पैमाना - 16" = 1 मील



DR. No -

अनुज कुमार  
 (व.स.)

महेश  
 नं वनवाठं  
 चररा


शुद्धी नं. १०४  
दिनांक १५/११/२०१५

शुद्धी नं. १०४

दिनांक १५/११/२०१५

- १. कुच्छुर्वा
- २. रान्ना
- ३. देवी देवी
- ४. सान्ना देवी

कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा



कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा  
कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा

कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा  
कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा

कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा  
कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा कुच्छुर्वा

Range Forest Office  
Chattr Range

(249)

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

महाशय,

उपरोक्त वाद से संबंधित घटना की जांच प्रभारी वनपाल के द्वारा करके अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रभारी वनपाल का अभियोजन प्रतिवेदन सत्य पाया गया।

अतः अनुरोध है कि इस केस को उचित न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन



26/09/2024

वन क्षेत्र पदाधिकारी

चतरा वन प्रक्षेत्र।

वन, विभाग झारखण्ड

घतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, घतरा

अपराध रिपोर्ट सं०... 33P  
ता०... 25/09/2024

घतरा प्रक्षेत्र... राजस्व केन्द्र रेंज।

ज्ञापांक सं०... 870

ता०... 23/09/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी घतरा दक्षिणी प्रमण्डल

का जप्ती रिपोर्ट का एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ  
अग्रसारित।

Prosecution Sanctioned  
against the accused No.

07/09/2024

Assistant Forest Officer  
SOUTH DIVISION

27/09/2024

वन-क्षेत्र पदाधिकारी... प्रभारी पदाधिकारी  
घतरा प्रक्षेत्र... राजस्व केन्द्र रेंज।

ज्ञापांक सं०... 2196

ता०... 29/10/2024

घुसरा दक्षिणी मजिस्ट्रेट - घतरा

आदेशिका तामील करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती हैं।

- ① अपराध प्रतिवेदन
- ② घतरा प्रमण्डल वन मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट
- ③ कानून-पत्र की प्रतियाँ
- ④ वन पत्र की प्रतियाँ
- ⑤ वन मजिस्ट्रेट की प्रतियाँ

प्रभारी पदाधिकारी  
राजस्व केन्द्र।  
29/10/24



कार्यालय:- संलग्न पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987799213



प्रेषक,

पत्रांक ०३

दिनांक 19/01/2026

सेवा में,

श्वेताभ सुनन, गी०ब००  
संलग्न पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

चतरा जिला अन्तर्गत 132 कें०मी० डी०/सी० चतरा से हण्टरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में अधिसूचित वनभूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित कर उसकी विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

उपायुक्त, चतरा का ज्ञापक 2925 दिनांक 29.12.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत विषयगत परियोजना निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ खास, जंगल-झाड़ी भूमि एवं अधिसूचित वनभूमि पर किये गये टॉवर निर्माण से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन से प्रभावित गैर मजरूआ खास जंगल-झाड़ी (भूमि का रकबा) भूमि को चिन्हित करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अधिसूचित वनभूमि का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र की विवरणी अत्र-सह-संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

*Shantish Kumar*  
संलग्न पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।



**Forest Area Statement for 132 Kv D/C Chatra- Huntarganj Transmission Line**

Sl. No.	Village	Thana/ Thana No.	Plot No.	Location No.	TOT	Soil Classification	Area in sqm	Area (in Ha.)
1	Darha	Chatra/157	704	61A/0	DB+6	PS	146.096	0.0146
2	Darha	Chatra/157	708	62/0	DD+3	PS	207.619	0.0208
3	Barisuram	Chatra/164	2	24/0	DC+0	WET	116.532	0.0117
<b>Total :-</b>							<b>470.247</b>	<b>0.0471</b>

*Shweta Suman*  
17/11/2014

Attached Officer. (Shweta Suman, IFS)  
Chatra South Forest Division, Chatra

*(Signature)*



# समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

ई-मेल : ac-chatra@jarkhandmail.gov.in

पत्रांक- XVIII-04/2020-117.../रा0

दिनांक- 19/01/2026

प्रेषक,

उपायुक्त,  
चतरा।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा  
उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा

विषय :-

चतरा जिलान्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरजमरूआ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने के फलस्वरूप वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा अन्य वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपके कार्यालय पत्रांक-2812, चतरा, दिनांक-21.11.2025 एवं पत्रांक-2411, दिनांक-11.12.2024 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का आदेश ज्ञापांक-2925/रा0, दिनांक-29.12.2025 एवं श्री स्वैताम सुमन, मा0व0से0, संलग्न पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा के पत्रांक-59, दिनांक-06.01.2026


महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि चतरा जिलान्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरजमरूआ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने के फलस्वरूप वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा अन्य वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमों का उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिती के द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। (अद्यावधि संलग्न)

उपर्युक्त विषयांकित मामले में जांच समिती अनुशंसा की गई है जो इस प्रकार है- "the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि जांच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाए।

संलग्नक-यथोक्त।



प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक- XVIII-04/2020-117.../रा0, दिनांक- 19/01/2026

वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,  
उपायुक्त,  
चतरा।

उपायुक्त,  
चतरा।

**उपायुक्त का कार्यालय**  
 चतरा कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।  
 वन भवन, चतरा - 825401  
 E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

गोपनीय शाखा

*Nishu*  
*Steward*  
*1/26*

पत्रांक- 59 दिनांक- 06-01-2026

प्रेषक,  
 श्री श्वेताम सुमन, भा0ब0से0  
 संलग्न पदाधिकारी,  
 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

सेवा में,  
 उपायुक्त,  
 चतरा।

विषय :- चतरा जिला अन्तर्गत 132 को0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा- इण्टरगंज) निर्माण के क्रम में गैरमजलूआ खास, जंगल झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) चिन्हित करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका ज्ञापक- XVIII-04/2020-2925/रा0 दिनांक 29.12.2025 महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिती द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत 132 को0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा-इण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजलूआ खास, जंगल-झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित कर लिया गया है तथा विस्तृत जीव्य प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सनर्पित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

*Shweta Suman*  
 06/1/2026  
 संलग्न पदाधिकारी,  
 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

*2/26*  
 A-251  
 08/01/26  
 66  
 8/01/26

243

**Report of Committee on identification of GMJJ land (with area) impacted by  
previously constructed towers of 132 KV D/C Chatra-Hunterganj  
transmission line in Chatra district**

The committee held its first meeting on 31/12/2025 at Van Bhavan Chatra in which the scope of work was discussed with all team members. Committee member representing the user agency provided the detailed list of all towers which were either already erected or whose foundation work was already done on GMJJ & Forest Land. The list also included details of rest of tower proposed for erection on GMJJ & forest land. The committee reviewed the aforesaid detailed list of towers, .kml file of the transmission line, land schedule of the project available with Chatra North and Chatra South Forest division office and latest google earth / maps satellite imagery to identify the GMJJ land over which tower erection / foundation work was done.

**Committee Proceedings:**


1) Upon review following observations were made:

- Total no. of towers in transmission line project- 108
- Locations where tower erection / foundation work complete - 49

Thus, 49 locations were to be checked for violations under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyan, 1980*.

2) Out of 49 tower locations:

- Nature of land of 38 (fully erected) towers, visible in google earth / maps satellite imagery, was ascertained without doubt based on available records. Further nature of land of 6 towers (only foundation work), although not visible in satellite imagery, was also confirmed based on available land schedule. Thus, 44 tower locations didn't require on-site verification for nature of land.
- Remaining 5 tower locations (Annexure- I) needed on-site verification to ascertain the nature of land. On-site inspection was done on 02/01/2026 in the presence of all committee members. 4 towers were found to be located on Raiyati land and 1 tower (AP 6/0) was found to be located partially on GMJJ land.

  
Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)  
Transmission Div., Jharsihogh  
(Member)

  
08/01/26  
Shri Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)

  
Shri Vaibhav Kumar Singh  
LRDC, Chatra  
(Member)

  
08/01/26  
Shri Shwetabh Suman (I.P.Sy)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

- 3) For towers on GMJJ land, it was decided that the area of tower foundation based on the approved engineering drawings provided by user agency to be considered as the area impacted by violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980*. For tower (AP 6/0) located partially on GMJJ land, impacted area was measured on-site with help of Ameen in presence of all committee members.
- 4) For remaining GMJJ land parcels in which tower erection is proposed for the 132 KV D/C Chatra-Hunterganj transmission line project, it was decided that such locations to be physically verified for any new violations.

Committee Findings

- 1) The committee made following observations with respect to violations by user agency in the 132 KV D/C Chatra-Hunterganj transmission line project:

Total No. of Locations with violations in GMJJ	27
--	----

- No. of locations where full-tower erection done on GMJJ land - 23
- No. of locations where only foundation work done on GMJJ land - 4
- No new violations were found on any other GMJJ land in proposed transmission line alignment in the site verification

Thus, at 27 locations on GMJJ land, violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980* is confirmed. Total area impacted due to this violation is 4379.95 m<sup>2</sup> (0.43799 ha). Tower wise details attached in Annexure-II.

- 2) During the inspection, and as corroborated by satellite imagery, it was observed that nearly all of the 27 GMJJ land parcels in which violations have been confirmed are under cultivation, which indicates that the user agency appears to have committed an inadvertent error while executing the transmission line project in physically distinguishing the said land parcels as GMJJ.

  
 Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)  
 Transmission Div., Huzarilingh  
 (Member)

  
 Shri Anil Kumar  
 Circle Officer, Chatra  
 (Member)

  
 Shri Yashraj Kumar  
 LRDC, Chatra  
 (Member)

  
 Shri Shwetabh Susann (IFS)  
 Attached Officer, Chatra  
 (Chairman)



- 3) For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is diverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that: -

*"the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."*

Thus, in light of the aforesaid provision with regards to penal NPV, further necessary action can be taken.

*Rupa*  
06/01/26  
Smt. Rupa Kamari (Sr. Manager)  
Transmission Div., Hazaribagh  
(Member)

*Anil Kumar*  
06/01/26  
Shri Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)

*Vaibhav Kumar Singh*  
Shri Vaibhav Kumar Singh  
LRDC, Chatra  
(Member)

*Shwetabh Suman*  
06/01/26  
Shri Shwetabh Suman (I.F.S)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

248

ANNEXURE - I

**Report of Committee on identification of GMJJ land (with area) impacted by  
previously constructed towers of 132 KV D/C Chatra-Hunterganj  
transmission line in Chatra district**

The committee held its first meeting on 31/12/2025 at Van Bhavan Chatra in which the scope of work was discussed with all team members. Committee member representing the user agency provided the detailed list of all towers which were either already erected or whose foundation work was already done on GMJJ & Forest Land. The list also included details of rest of tower proposed for erection on GMJJ & forest land. The committee reviewed the aforesaid detailed list of towers, Km<sup>2</sup> file of the transmission line, land schedule of the project available with Chatra North and Chatra South Forest division office and latest google earth / maps satellite imagery to identify the GMJJ land over which tower erection / foundation work was done.

**Committee Proceedings:**


1) Upon review following observations were made:


- Total no. of towers in transmission line project- 108
- Locations where tower erection / foundation work complete - 49


Thus, 49 locations were to be checked for violations under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980*.


2) Out of 49 tower locations:

- Nature of land of 38 (fully erected) towers, visible in google earth / maps satellite imagery, was ascertained without doubt based on available records. Further nature of land of 6 towers (only foundation work), although not visible in satellite imagery, was also confirmed based on available land schedule. Thus, 44 tower locations didn't require on-site verification for nature of land.
- Remaining 5 tower locations (Annexure- I) needed on-site verification to ascertain the nature of land. On-site inspection was done on 02/01/2026 in the presence of all committee members. 4 towers were found to be located on Raiyati land and 1 tower (AP 6/0) was found to be located partially on GMJJ land.

  
Smt. Rupa Kumar (Jr. Manager)  
Transmission Div., Hansi/High  
(Member)

  
08/01/26  
Shri. Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)

  
Shri. Virender Kumar Singh  
LRDC, Chatra  
(Member)

  
08/01/26  
Shri. Shwetabh Suman (Jr.S)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

**Report of Committee on identification of GMJJ land (with area) impacted by  
previously constructed towers of 132 KV D/C Chatra-Hunterganj  
transmission line in Chatra district**

The committee held its first meeting on 31/12/2025 at Van Bhavan Chatra in which the scope of work was discussed with all team members. Committee member representing the user agency provided the detailed list of all towers which were either already erected or whose foundation work was already done on GMJJ & Forest Land. The list also included details of rest of tower proposed for erection on GMJJ & forest land. The committee reviewed the aforesaid detailed list of towers, .km2 file of the transmission line, land schedule of the project available with Chatra North and Chatra South Forest division office and latest google earth / maps satellite imagery to identify the GMJJ land over which tower erection / foundation work was done.

**Committee Proceedings:**


1) Upon review following observations were made:

- Total no. of towers in transmission line project- 108
- Locations where tower erection / foundation work complete - 49

Thus, 49 locations were to be checked for violations under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980*.

2) Out of 49 tower locations:

- Nature of land of 38 (fully erected) towers, visible in google earth / maps satellite imagery, was ascertained without doubt based on available records. Further nature of land of 6 towers (only foundation work), although not visible in satellite imagery, was also confirmed based on available land schedule. Thus, 44 tower locations didn't require on-site verification for nature of land.
- Remaining 5 tower locations (Annexure-1) needed on-site verification to ascertain the nature of land. On-site inspection was done on 02/01/2026 in the presence of all committee members. 4 towers were found to be located on Raiyati land and 1 tower (AP 6/0) was found to be located partially on GMJJ land.

  
Smt. Rupa Kumari (Smt. Manager)  
Transmission Div., Hazaribagh  
(Member)

  
08/01/26  
Shri Anil Kumar  
Circle Officer, Chatra  
(Member)


  
Shri Vaibhav Kishor Singh  
LRDC, Chatra  
(Member)

  
08/01/26  
Shri Shwetabh Sonu (L.F.S)  
Attached Officer, Chatra  
(Chairman)

3) For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is diverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that: -

*"the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."*

Thus, in light of the aforesaid provision with regards to penal NPV, further necessary action can be taken.

 06/01/26 Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager) Transmission Div., Hazaribagh (Member)	 06/01/26 Shri Anil Kumar Circle Officer, Chitra (Member)	 Shri Vaibhav Kumar Singh LRDC, Chitra (Member)	 06/01/26 Shri Shwetabh Suman (I.E.S.) Attached Officer, Chitra (Chairman)
---	---	--	---



R L

1/2

235

Page 10

**ANNEXURE-II**

254

**GMJJ AREA STATEMENT FOR 132 KV D/C CHATRA-HUNTERGANJ TRANSMISSION LINE VIOLATION**


SL NO.	TOWER LOCATION	TYPE OF TOWER	STATUS	MOUZA	THANA	PLOI	AREA (Sq.m)	AREA (Ha)	FOREST DIVISION	REMARKS
1	AP 60	DD+0	FULLY EXECUTED	KATHUN	171	9	66.6900	0.00667	CHATRA NORTH	PARTIALLY IN GMJJ
2	61	DA+9	FULLY EXECUTED	KATHUN	171	9	87.5722	0.00876	CHATRA NORTH	GMJJ
3	AP 70	DD+3	FULLY EXECUTED	KADMA	173	327	207.6193	0.02076	CHATRA NORTH	GMJJ
4	AP 80	DD+3	FULLY EXECUTED	BASARIA	170	56	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
5	AP 100	DD+3	FULLY EXECUTED	KON	154	14	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
6	101	DB+3	FULLY EXECUTED	TEJRA	153	1	135.7225	0.01357	CHATRA NORTH	GMJJ
7	AP 110	DD+3	FULLY EXECUTED	SALDAHA	158	117	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
8	AP 140	DC+6	FULLY EXECUTED	BEDUALI	139	27	163.8144	0.01638	CHATRA NORTH	GMJJ
9	AP 130	DC+9	ONLY FOUNDATION	MONGAWADABA	157	77	185.2865	0.01853	CHATRA NORTH	GMJJ
10	181	DB+3	ONLY FOUNDATION	MONGAWADABA	157	77	117.0508	0.01171	CHATRA NORTH	GMJJ
11	191	DA+6	FULLY EXECUTED	KURID	288	3	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
12	201	DA+6	FULLY EXECUTED	KURID	288	54	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
13	211	DB+9	FULLY EXECUTED	KURID	288	205	157.0510	0.01571	CHATRA NORTH	GMJJ
14	AP 220	DC+6	FULLY EXECUTED	BAKHARDI	273	21	161.2646	0.01613	CHATRA NORTH	GMJJ
15	AP 230	DD+3	FULLY EXECUTED	BAKHARDI	273	218	194.0170	0.01940	CHATRA NORTH	GMJJ
16	231	DA+6	FULLY EXECUTED	BAKHARDI	273	218	74.5287	0.00745	CHATRA NORTH	GMJJ
17	AP 250	DC+0	FULLY EXECUTED	KUBA	165	2	116.5330	0.01165	CHATRA SOUTH	GMJJ
18	AP 260	DC+9	FULLY EXECUTED	KUBA	165	2	208.8653	0.02089	CHATRA SOUTH	GMJJ
19	261	DB+6	FULLY EXECUTED	KUBA	165	2	134.3290	0.01363	CHATRA SOUTH	GMJJ
20	AP 280	DC+9	FULLY EXECUTED	SIKID	160	192	185.2865	0.01853	CHATRA SOUTH	GMJJ
21	AP 320	DC+9	FULLY EXECUTED	SIKID	160	337	185.2865	0.01853	CHATRA SOUTH	GMJJ
22	AP 340	DD+6	FULLY EXECUTED	SIKID	160	337	225.9911	0.02260	CHATRA SOUTH	GMJJ
23	AP 360	DD+3	FULLY EXECUTED	SANGRAKI	171	80	207.6193	0.02076	CHATRA SOUTH	GMJJ
24	AP 610	DD+9	ONLY FOUNDATION	DARHA	157	702	260.4350	0.02604	CHATRA SOUTH	GMJJ
25	AP 610	DC+3	FULLY EXECUTED	DARHA	157	707	149.9490	0.01500	CHATRA SOUTH	GMJJ
26	AP 640	DD+9	FULLY EXECUTED	DARHA	157	707	262.7317	0.02627	CHATRA SOUTH	GMJJ
27	AP 660	DC+0	ONLY FOUNDATION	DARHA	157	706	161.1030	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
						TOTAL	4379.95	0.43799		


*Shri Shivchari Sharma*  
 Shri Shivchari Sharma (I.E.S.)  
 Attached Officer, Chitra  
 (Chairman)

*Shri Vaibhava Singh*  
 Shri Vaibhava Singh  
 I.R.D.C., Chitra  
 (Member)


*Shri Anil Kumar*  
 Shri Anil Kumar  
 Circle Officer, Chitra  
 (Member)


*Shri Rupa Kumar*  
 Shri Rupa Kumar (Sr. Manager)  
 Transmission Div., Hoshangabad  
 (Member)































222

